

**कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर**  
**कार्यालय – आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त निम्नांकित द्वितीय वेतन शृंखला अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं वशाशि का उनकी अनवरत उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष के परीक्षणकाल की अवधि समाप्ति पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से स्थाई करण किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 29 के अनुसार निर्धारित होगी।

| क्र. सं. | सत्र    | नाम वरिष्ठ अध्यापक मय पदस्थापित स्थान                          | जन्मतिथि   | द्वि.वे.श्रृ. में कार्यग्रहण तिथि | स्थाईकरण तिथि |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 1        | 97-98   | अमरा राम माली/भेपाराम माली<br>रा.आ.उ.मा.वि., बिराई, जोधपुर     | 13-12-1965 | 11-11-1997                        | 11-11-1999    |
| 2        | 97-98   | पुखराज भटी/फुसाराम भाटी<br>आ.रा.उ.मा.वि., दीगाँव, जालौर        | 14-07-1973 | 21-04-97<br>01-07-97              | 01-07-1999    |
| 3        | 97-98   | कमल कुमार /राम चन्द्र<br>रा.उ.मा.वि., किशनपुरा(जवाजा)पाली      | 03-01-1969 | 05-12-1997                        | 05-12-1999    |
| 4        | 99-2000 | नेनू राम चौधरी/मोडाराम चौधरी<br>रा.उ.मा.वि., शिव, बाडमेर       | 15-11-1972 | 26-03-1999<br>01-07-1999          | 01-07-2001    |
| 5        | 2009-10 | नत्थू राम/हनुमान प्रसाद<br>रा.उ.मा.वि., जाम्बा की ठाणी, जोधपुर | 22-02-1959 | 03-07-2009                        | 03-07-2011    |

उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दिनांक – 10-07-18

क्रमांक – ईडीडी/जोध/मा/ईडी/स्थाईकरण/2018/ 114  
प्रतिलिपि –

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, .....
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक।
6. निजी पंजिका/रक्षक पंजिका।

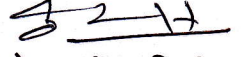
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

### कार्यालय – आदेश

राज्य सरकार के आदेशांक एफ 26 (4) शिक्षा-1/98 दिनांक 03.09.1992 द्वारा सत्र 81-82 से 89-90 तक द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के पद स्थायी किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित सत्रों में सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्त निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक का स्थायीकरण दिनांक 01.03.1992 से किया जाता है। इनके स्थायीकरण से संबंधित सत्र में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त इनसे वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

| क्र.सं. | सत्र  | नाम वरिष्ठ अध्यापक मय<br>पदस्थापित स्थान                     | जन्मतिथि   | द्वि.वे.श्रृ. में कार्यग्रहण तिथि |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1       | 84-85 | राम सेवक / महाराज सिंह<br>राआउमावि, काकराडी, बाली, जिला पाली | 15-08-1958 | 24-08-1984                        |
| 2       | 84-85 | घेवर राम / पुकाराम<br>रा.आ.उ.मा.वि., हरियामाली (सोजत) पाली   | 21-08-1958 | 02-07-1984                        |

  
उप निदेशक (माध्यमिक)

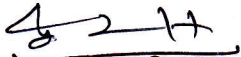
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दिनांक – 10.07.2018

क्रमांक – ईडीडी/जोध/मा/ईडी/स्थाईकरण/2018/ 113

प्रतिलिपि –

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, .....
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा .....
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी पंजिका/रक्षक पंजिका

  
उप निदेशक (माध्यमिक)

शिक्षा विभाग, जोधपुर